

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी / प्रार्थी






हुक्मी चन्द

प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

बनाम लक्ष्मी नारायण

प्रकरण : विविध प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 05 / 2022

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23/5/22	<p>यह वाद अधीन आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी के तहत वकील श्री नरेन्द्र सिंह राठोड ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगणों को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28/6/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल </p>	
28/6/2022	<p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी की अंश से दिनांक 21/6/2022 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश हो रखा है। अप्रार्थी से 2 एवं 3 परफार्मा पक्षकार है। क्वेश प्रार्थना पत्र सुनी गई। दिशाल कारते आदेश दिनांक 29/06/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल </p>	<p style="text-align: right;">  </p>
29/6/22	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वकील फरीकत अफ प्रार्थना पत्र 09/राड सीपीसी का विनायादावा कालत होने वषर किया। अ विनियम के तहत सुभार वली होने के खारिन किया जावाही विरुद्ध आदेश अलग से लिखार जाकर सामिल दिशाल विपु. गथम दिशाल गथल से मम होकरवाक जाया कार्यवाही दाखिलार सुभारदी</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल </p>	<p style="text-align: right;">  </p>